

## कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 5

दिनांक:- 15.2.2011

वार :- मंगलवार

समय:- दोपहर:- 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 15.2.2011 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य	9. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
2. श्री मुहम्मद खलील	सदस्य	10. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर
3. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य	11. श्री फिरोज खान	कनिष्ठ लिपिक
4. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य	12. श्री चेतन जैन	कनिष्ठ लिपिक
5. श्री बी.एम. असावा	आयुक्त एवं सदस्य सचिव	13. श्री जगदीश सोलंकी	कनिष्ठ लिपिक
6. श्री राजेश वर्मा	उपनगर नियोजक	14. श्री चन्द्रांशु नागौरी	कनिष्ठ लिपिक
7. श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता		
8. श्री चतर सिंह जी	सहायक अभियंता		

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 3.12.10 की बैठक संख्या 4 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से की जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
1.	भूखंड संख्या 343 भुपालपुरा	श्री भंवर लाल पिता श्री तेजराज जी कटारिया, श्री देवेन्द्र, जगदीश, महेश, यशवंत, पिता श्री भंवर लाल कटारिया	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री भंवर लाल पिता तेजराज कटारिया के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को समझौता पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है। मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण किया एवं सैकण्ड फ्लोर में भी पीछे की तरफ सेट बेक में निर्माण किया व एक कमरा व सीढी बिना स्वीकृति के बना रखी है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की प्रार्थी ने जो पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भू तल, प्रथम तल एवं द्वितिय तल के सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो सैकण्ड फ्लोर में कमरे व सीढी का निर्माण किया उसकी शास्ती निर्माण लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जावे। सेट बेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
2.	भूखंड संख्या 213 अशोक नगर	श्री मिश्री लाल देवपुरा पिता श्री मोती लाल देवपुरा	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री मोती लाल देवपुरा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वारीसान से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है। मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में लेट्रिन बाथरूम बनाया गया है जिसे नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती की आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किया जावे अतः निमयन किया जावै। सेट बेक में निमयन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
3.	भूखंड संख्या 181, भुपालपुरा	श्री दिनेश कोठारी, विनोद कोठारी, पिता लक्ष्मी लाल	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री लक्ष्मी लाल पिता श्री फुलचंद के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वारीसान से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।ममौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण किया गया एवं प्रथम तल में कुछ हिस्से में बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है प्रार्थी नामान्तरण कराना चाहते है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कार्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं प्रथम तल में जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाते हुए नियमन किया जावे। सेट बेक में निमयन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
4.	भूखंड संख्या 33, पाठों की मगरी	श्रीमति सरोज कोठारी पति श्री विजय कोठारी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति योगेन्द्र कुंवर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के बना रखा है प्रार्थी नामान्तरण कराना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं प्रार्थी ने प्रथम तल में बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जावे। सेट बेक में निमयन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम पता	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
5.	भूखंड संख्या 221/1 फतेहपुरा	श्री दलपत सिंह बाबेल पिता श्री विजय सिंह बाबेल	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति मोहन कुंवर मेहता के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण एवं पीछे की तरफ प्रथम तल में बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। प्रार्थी नामान्तरण करवाना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण किया जिसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं पीछे की तरफ कुछ हिस्से में बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जावे। सेट बेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम पता	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
6.	भूखंड संख्या 31, दैत्य मगरी,	श्री रविन्द्र सिंह लोढा, स्व. सुरेन्द्र सिंह लोढा के उत्तराधिकारी, श्रीमति पुष्पा लोढा, श्रीमति शुभा हिंगड, श्रीमति स्वाति शर्मा, श्री दर्पण लोढा	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री मनोहर सिंह लोढा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वसीयत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में सेट बेक में निर्माण किया गया प्रार्थी नामान्तरण करवाना चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जावे। सेट बेक में निमयन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का नाम पता	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
7.	भूखंड संख्या 24, मोती मगरी स्कीम,	श्रीमति अमीना सैफ पति श्री सैफुद्दीन एवं सैफुद्दीन पिता महोम्मद हुसैन	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री रवि दास माथूर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।मप्रार्थी के प्रकरण को पूर्व भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7. 2009 की बैठक में प्रकरण रखा गया था एवं नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतू लिखा गया था।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से आज की स्थिति के नक्शें एवं मौका रिपोर्ट लेते हुए आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।



क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
8.	भूखंड संख्या 66 अलीपुरा	श्री राजेश नैयर पिता मुरलीधर एवं इम्जियाज अली पिता मंसुर अली	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री बशारत खां पिता फैयाज हुसैन, एवं ईशहाक महोम्मद के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।मप्रार्थी के प्रकरण को पूर्व भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 20.1. 2006 की बैठक में प्रकरण रखा गया था एवं नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतु लिखा गया था।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी से आज की स्थिति के नक्शें एवं मौका रिपोर्ट लेते हुए आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
9.	भूखंड संख्या 188,अशोक नगर	श्रीमति कमला व्यास पति श्री दुर्गा शंकर जी	<p>प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री अनोप देवी पति श्री भंवर लाल जोशी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को वसीयत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।प्रार्थी के प्रकरण को पूर्व भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.9. 2009 की बैठक में प्रकरण रखा गया था एवं नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतू लिखा गया था।</p>	<p>प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी से आज की स्थिति के नक्शें एवं मौका रिपोर्ट लेते हुए आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।</p>

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
10.	भूखंड संख्या 100 रेती स्टेण्ड	श्रीमति इन्द्रा देवी लौहार	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड मंजु देवी चौहान के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को <u>UIT</u> से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी सेटबेक मे किये गये प्रोजेक्शन को हटाकर फोटो एवं वर्तमान स्थिति का नक्शा 15 दिन मे कार्यालय मे प्रस्तुत करे। अन्यथा नामान्तरण नही किया जावे
11.	भूखंड संख्या 389 हि.म. से नं. 11	श्री दामोदर खटोड	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड प्रहलाद राय खरोड के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को रिलीज डीड से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया उपस्थित समस्त अधिकारियो कार्मिको से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से ली जावे । सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
12.	भूखंड संख्या 33 गेलडा कोलोनी	श्रीमति रचना रोट	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड एम. एस. सोढी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेटबेक में किये गये निर्माण को हटाकर 15 दिन में फोटो प्रस्तुत करे अन्यथा प्रकरण को निरस्त कर दिया जावे।
13.	भूखंडसंख्या 35,सुदरवास	श्री अमित माथूर	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति पोन्नमा कोशी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कामचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे । सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
14.	भूखंड संख्या 165,हि.म. से नं. 3	श्री प्रवीण सिंह	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री अल्लानुर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण/लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे । सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।
15.	भूखंड संख्या 17,हि.म. से नं. 6	श्री प्रमोद कुमार झा	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड बीना देवी वीरवानी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे । सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
16.	भूखंड संख्या 113,हि.म. से नं. 11	श्री धनपाल जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड गोविन्द सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% लेते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे
17.	भूखंड संख्या 500 हि. म. से नं. 11	श्रीमति कमला नेभनानी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति जस कुँवर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी नही है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
18.	भूखंड संख्या 59 हि.म. से नं. 3	श्री प्रमोद कुमार झा	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्री अल्ली मोहम्मद के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण/लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फ्रन्ट सेटबेक में किये गये निर्माण को हटाकर 15 दिन में फोटो प्रस्तुत करे अन्यथा प्रकरण को निरस्त कर दिया जावे।
19.	भूखंड संख्या 316 ए, किशनपोल, उदयपुर	श्री पुरुषोत्तम पिता गिरधारी लाल	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड गिरधारी लाल जी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है।प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फ्रन्ट सेटबेक में किये गये प्रोजेक्शन को हटाकर 15 दिन में फोटो प्रस्तुत करे साथ ही सर्वे फर्मो द्वारा सम्पूर्ण योजना का सर्वे कराकर विस्तृत रिपोर्ट मंगवायी जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
20.	भूखंड संख्या 1224 आई हि. म. से नं. 5	श्रीमति कैलाशी देवी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के <u>लीज डीड</u> हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड <u>स्वयं</u> के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को <u>UIT</u> से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए <u>लीज डीड</u> चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे



क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
21.	भूखंड संख्या 351 हि.म. से नं. 6	श्री महावीर प्रसाद	<p>प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड शान्ता सुरेन्द्रन के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।</p>	<p>प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फ्रन्ट सेटबेक मे जो फाटक बाहर निकाल कर रखी है उसे हटाकर बाउन्ड्री बनाकर 15 दिन मे फोटो प्रस्तुत करे। प्रार्थी द्वारा फोटो प्रस्तुत करने पर सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे साथ ही प्रार्थी से एक शपथ पत्र इस आशय का लिया जावे कि प्रार्थी फ्रन्ट सेटबेक मे पुनः निर्माण नही करेगा। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।</p>

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
22.	भूखंड संख्या 327 हि म. से नं. 6	श्रीमति पुष्पा देवी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के <u>लीज डीड/नामान्तरण</u> हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड राधा देवी जीनगर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को <u>विक्रय पत्र</u> से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए <u>लीज डीड/नामान्तरण</u> चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जावे । सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
23.	भूखंड संख्या 127 हि म. से नं. 4	श्री चन्द्र प्रकाश चपलोत	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड हेतु आवेदन किया है।रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को <u>UIT</u> से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है।सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे । प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
24.	भूखंड संख्या 1133 हि.म. से नं. 4	श्रीमति सोहन देवी	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड राम नारायण सुखवाल के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया हैं। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फ्रन्ट सेटबेक मे एवं सरकारी नाली पर जो निर्माण कर रखा है उसे हटाकर 15 दिन मे फोटो प्रस्तुत करे। प्रार्थी द्वारा फोटो प्रस्तुत करने पर सेटबेक मे किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नामान्तरण किया जावे साथ ही प्रार्थी से एक शपथ पत्र इस आशय का लिया जावे कि प्रार्थी फ्रन्ट सेटबेक एवं सरकारी नालीपर पुनः निर्माण नहीं करेगा। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति का निर्णय
25.	भ. अ/139/08-09 प्लाट नं. 952, ज्ञान नगर, हि. म. से नं. 4	श्रीमति रजना वीरवाल पति घनश्या जी उदयपुर	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नियमन एवं भवन अनुमति हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति रजना वीरवाल के नाम पर है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण कर विचलन किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए भवन अनुमति चाहती है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से लेते हुए नियमन किया जाता है नियमन की राशि जमा होने के पश्चात प्रकरण को भवन निर्माण अनुमति समिती के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु रखा जावे।
26.	भ. अ/62/09-10 26, मेहता जी की बाडी गुलाबबाग	श्रीमति लता चावत पति श्री दिनेश चावत	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नियमन एवं भवन अनुमति हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति लता चावत के नाम पर है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेटबेक में निर्माण कर विचलन किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए भवन अनुमति चाहती है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो आसपास की स्थिति का प्लान प्रस्तुत किया गया जिसे मौके से मिलान किया जावे तथा सेटबेक में किये गये निर्माण की शास्ति आरक्षित दर से तथा स्वीकृती विरुद्ध निर्माण की शास्ति लागत की 5% से गणना की जावे तथा न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण नियमन की अनुशंसा करते हुए न्यायालय से स्वीकृति लेकर कार्यवाही पूर्ण की जावे। सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या योजना का नाम	प्रार्थी का पता	विवरण	समिति का निर्णय
27.	भ. अ/137/09-10 24, पिछोली मामा जी की हवेली के पास	श्रीमति पुष्पा देवी धाबाई पति राधा किशन धाबाई	मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध खुले निकासु को बंद कर दिया गया है व भूतल + दो मंजिल निर्माण किया गया है बंद निकासु के विरुद्ध पडोसी द्वारा उजरदारी भी प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया गया जिसके सदंर्भ में विधिअधिवक्ता से राय ली गई जिसमें राय दी गई कि प्रकरण में नगर परिषद् के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्रवाई स्टे नहीं है इस कारण नगर परिषद् नियमानुसार नियमन करना चाहे तो कर सकती है। इसमें न्यायालय की कार्रवाई रोक नहीं है। समिति के समक्ष दोनों पक्षों को बुलाया गया एवं सुना गया।	समिति द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों को मौके पर ही बुलाया जावे एवं समिति द्वारा संयुक्त मौका देखा जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
28.	भ अ/61/2009-10/ अशोक नगर,	श्रीमति दाखी बाई	प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के नियमन हेतु आवेदन किया है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड श्रीमति दाखी बाई के नाम पर है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है प्रार्थी द्वारा स्वीकृति विरुद्ध मौके पर निर्णय किया गया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डी.टी.पी. साहब द्वारा मौका देखा जावे एवं प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।

1. जिन पत्रावलियों पर सबूत मौके के नक्शों या अन्य सूचना बाबत पत्र दिये गये परंतु अभी तक जवाब प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति में इन पत्रावलियों पर अंतिम 7 दिवस का सूचना पत्र दिया जावे तथा जवाब नहीं आने पर पत्रावली निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
2. जिन पत्रावलियों पर शुल्क, नियमन राशि आदि बकाया चल रही है। उनको बार – बार सूचित करने पर भी नियमन राशि आदि प्रार्थी द्वारा जमा नहीं करायी जा रही है। इस परिस्थिति में शुल्क बाबत पत्रावलियों पर धारा 130 के तहत अंतिम नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली अतिक्रमण शाखा में कार्यवाही हेतु भिजवायी जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त  
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष  
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/कौशा/10-11/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर।

आयुक्त  
नगर परिषद, उदयपुर